न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 231 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/246)

पंजीयन दिनांक– 19.04.2021

निर्णय दिनांक– 25.10.2021

1. श्री अशोक पिता राधेश्याम जोशी, निवासी आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मांगी पिता केला भील, निवासी मानजी का गुड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री मेघा पिता केला भील, निवासी मानजी का गुड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री वक्ता पिता पेमा भील, निवासी मानजी का गुड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री भुरा पिता उंकार भील, निवासी बराड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री भूरालाल डांगी – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश नागदा, – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री मुकेश गौड़ – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण

संख्या 005 / 2012 निर्णय दिनांक 29.01.2021

निर्णय

दिनांक 25.10.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 005/2012 निर्णय दिनांक 29.01.2021 के विरूद्ध दिनांक 19.04.2021 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विरूद्ध रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को रेड ऑकर खनन हेतु खनन पट्टा मानजी का गुडा, तहसील भदेसर में दिया गया है। अपीलांट को रेड ऑकर खनन हेतु खनन क्षेत्र में आने वाली भूमि का अपीलांट के पक्ष में राजस्थान सरकार द्वारा माईनिंग लीज दी गई है और इस संबंध मे लीज डीड दिनांक 20.07.2009 को निष्पादित हुआ तथा वर्तमान में लीज प्रभावशील है। उक्त लीज एरिया क्षेत्र में खातेदारान की निजी खातेदारी की भूमि पडती है, जिसकी अपीलांट को रेड ऑकर खनन हेतु धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में वर्णित कार्य के लिए आवश्यकता है। मानजी का गुडा की आराजी संख्या 220/3 रकबा 1–00 बीघा, आराजी संख्या 220/5 रकबा 3–12 बीघा भूमि अवाप्त करना चाहता है। उक्त भूमि अपीलांट को अपने रेड ऑकर खनन हेतु द्रुतगति से अपनी योजना के अनुसार कार्य नहीं हो पाने से उक्त भूमि का अपीलांट को सख्त आवश्यकता है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 005/2012 निर्णय दिनांक 29.01.2021 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.01.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। मनन किया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम की धारा 89 (2) एवं (3) के प्रावधानों के अनुसारः–***

"(2) The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purposes subsidiary thereto, including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. The staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways or tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.

(3) If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines or quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub-sections (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions andreservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned:

Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land effected and their objection have been heard and considered." है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र की क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय पाया है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज लीज अनुबंध संख्या ***M.L.No.- 15/2005*** *के अवलोकन से जाहिर होता है कि अनुबंध पृष्ठ संख्या 15 में तीसरे पक्ष की भूमि के मुआवजा एवं अधिग्रहण के संबंध में शर्त अंकित गई है। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि दिया जाना प्रस्तावित किया जायेगा, किन्तु इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, एवं तथ्य ठोस दस्तावेज का मोहताज है जिससे यह तय किया जा सकता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मुआवजा अदा किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा लीज अनुबंध की पालना भी नहीं किया जाना प्रतीत होता है। इसके साथ ही जहां तक राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों के अध्यधीन प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह तय किया जा सके कि प्रार्थी को अपने खनन कार्य हेतु विवादित आराजीयात की अत्यन्त आवश्यकता है एवं इस विवादित आराजीयात के अभाव में प्रार्थी के*

खनन कार्य प्रभावित हो रहा है, इसके साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्य कि प्रार्थी को माईनिंग लीज में कुल कितने एरिया को स्वीकृत किया गया है और प्रार्थी ने उस स्वीकृत एरिया में कितने एरिया भूमि का खनन के लिए उपयोग कर लिया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर कोई ठोस दस्तावेज एवं तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को पूर्ण रूप से साबित कराये जाने में असफल प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी अशोक कुमार पिता राधेश्याम जोशी निवासी 42 आदर्श कॉलोनी निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 सारहीन होने से खारीज किया जाता है।"

उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नागदा उपस्थित, तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश गौड़ उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 11.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी में बताया कि अपीलांट को रेड ऑकर खनन हेतु खनन क्षेत्र में आने वाली भूमि का अपीलांट के पक्ष में राजस्थान सरकार द्वारा माइनिंग लीज जारी की गई वह लीज डीड दिनांक 20.07.2009 को निष्पादित हुई वर्तमान में लीज डीड प्रभावशील है। लीज एरिया क्षेत्र में खातेदारान की निजी खातेदारी की भूमि स्थित है जिसकी अपीलांट को रेड ऑकर खनन हेतु आवश्यकता है उक्त भूमि विक्रय पत्र से भूरा पिता उंकार भील निवासी बराड़ा के नाम दर्ज अभिलिखित है। अपीलांट को माइनिंग प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 में वर्णित कार्यों के लिए आवश्यकता है उसके अभाव में अपीलांट रेड ऑकर खनन हेतु द्रुतगति से अपनी योजना अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। अपीलांट उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग करने हेतु उक्त भूमि का आधिपत्य भी प्राप्त करना चाहता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में

में लिखित बहस भी दी गई थी जिसमे रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित बहस में यह तथ्य अंकित किए थे कि अपीलांट के द्वारा जिस प्रयोजन के लिए भूमि अवाप्त किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह मेजर मिनरल नहीं होकर माइनर मिनरल है जिस पर धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं इसके लिए अलग से खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत बनाए गए नियम कंसेशन रूल्स 1960 के अनुसार ही निर्धारित किए जावे, उक्त आपत्ति में विपक्षी की गलत आपत्ति थी, जबकि रेड ऑकर मेजर मिनरल है एवं मेजर मिनरल के लिए धारा 89 के प्रावधान लागू होते हैं, अपीलांट को उक्त भूमि के संबंध में माइनिंग लीज जारी की हुई है जिसका नक्शा भी अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध न्यायिक दृष्टांत एवं विनिश्चय क्रमशः RRD 14.07.2011 PAGE 482, RRT 2001 (1) PAGE 180 पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि धारा 89 में माईनिंग लीज के लिए भूमि दिलाने के लिये कहीं प्रावधान नही है माईनिंग लीज के साथ यदि सुख सुविधा के लिये भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि दिलाई जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में माईनिंग के लिये भूमि मांगी गई है जो कि धारा 89 के स्कोप में नही आती है। इसके लिये जमीन अपाप्त ही की जा सकती है जो कि भूमि अवाप्ती अधिनियम के तहत ही की जा सकती है। उपरोक्त निर्णय में माना गया है कि भूमि अपाप्त की जा सकती है। भूमि अवाप्त की गई है तो भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नही होगा इसके लिये धारा 89 के तहत की किया जायेगा। माईनिंग अधिनियम के अनुसार प्राईवेट खातेदार की भूमि में माईनिंग के लिये खातेदार की स्वीकृति ली जयेगी तब ही लीज जारी होगी हस्तगत प्रकरण में खातेदार की कोई एनओसी अपीलांट ने नही जी है। इसलिये लीजधारी रेस्पोडेंट की भूमि में प्रवेश ही नही कर सकता है। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब में एतराज लिया था धारा 89 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकारिता नही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार मान लिया उसको रेस्पोडेंट बिना क्रॉस आब्जेक्शन अपील में प्रस्तुत किये बिना क्षेत्राधिकार के बिन्दू को उठा सकता है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध

न्यायिक दृष्टांत एवं विनिश्चय क्रमशः RRT 2001 (1) PAGE 180, RRT 2012 (2) PAGE 846, RRT 2016-17 (SUPP.) PAGE 80, 1980 BOMBAY AIR PAGE 306 पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 29.01.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.01. 2021 को हुआ, जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 19.04.2021 को प्रस्तुत की गयी। अपीलाण्ट द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत की गयी अपील के लिए दफा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन देते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट को उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.04.2021 को जानकारी दी गई एवं अंदर जानकारी मियाद उसके द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही है। ताइद में शपथ–पत्र भी दिया। न्यायहित एवं अखण्डित शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिकोण से मयाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट प्रार्थी द्वारा उसके पक्ष में स्वीकृत एवं विद्यमान खनिज लीज जो कि दिनांक 20.07.2009 को निष्पादित हुई थी, उस स्थिति पूर्व में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1, 2 व 3 की खातेदारी का क्षेत्र आराजी संख्या 220/3 रकबा 1 बीघा तथा आराजी संख्या 220/5 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा को अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को उसे धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत बाद मुआवजा उपलब्ध/अधिगृहित करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 29.01.2021 से अपना क्षेत्राधिकार मानते हुए अपीलाण्ट का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि लीज डीड में वर्णित शर्तों के अनुसार अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि दिये जाने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा ऐसी साक्ष्य भी नहीं दी है कि खनन लीज हेतु अपीलाण्ट को उक्त भूमियों की अत्यन्त आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में विधि के प्रावधानों को समझने के लिए तथा प्रकरण में विधिक एवं साम्यों के तथ्यों के दृष्टिगत

रखने के लिए हम धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को यहां उद्दृत करना उचित समझते हैं –

89. Right of minerals, mines, quarries and fisheries- The right to all minerals, mines and quarries and to all fisheries, navigation and irrigation in and from, a river shall vest in the State Government and the State Government shall have all powers necessary for the enjoyment of such a right.

(2). The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purpose subsidiary thereto including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. the staking of minerals and deposite of refuse, the construction of roads, railways of tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.

(3). If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines of quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub- section (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions and reservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned:

Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land affected and their objection have been heard and considered.

(4). If, in the exercise of the right herein referred to over any land, the right of any persons are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the State Government of its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Collector, of, if his award is not accepted, by the

civil court, as nearly as may be in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953).

(5). No assignee of the State Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector, unless the compensation has been determined and tendered to the person whose rights are infringed.

(6). If any assignee of the State Government fails to pay compensation as provided in sub saction (4), the Collector may recover such compensation from him on behalf of the person entitled to it, as it were an arrear of land revenue.

(7). Any person who without lawful authority extracts of removes minerals from any mine of quary, the right of which vests in and has not been assigned by the State Government, shall without prejudice to any other action that may be taken against his liable, on the order in writing of the Collector to pay a penalty not exceeding a sum calculated at the rate of fifty rupees per ton, or a fraction thereof, of the minerals so extracted or removed:

Provided that if the sum of calculated is less than one thousand rupees, the penalty may be such larger sum not exceeding one thousand rupees as the Collector may impose.

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जो कि इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, उसमें सी–2 जो सहायक खनि अभियन्ता द्वारा माइनिंग लीज है, उसमें अपीलाण्ट द्वारा आवेदित क्षेत्र शामिल होना प्रकट है। इसी प्रकार माइनिंग लीज के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या सी/26 में पटवारी एवं खनिज विभाग की संयुक्त रिपोर्ट में भी उक्त आराजी नं0 220/3 1 बीघा एवं आराजी नं0 220/5 3 बीघा भूमि उक्त खनन क्षेत्र में आना सुस्पष्ट है। धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में स्पष्टतया धारा 89(1) में खनन अधिकार एवं धारा 89(2) में खनन से सुसंगत विषयों पर भूमि मुआवजे के आधार पर दिये जाने के विवरण वर्णित है तथा धारा 89(3) में धारा 89(1) खनन क्षेत्र तथा धारा

धारा 89(2) खनन से सुसंगत विषय दोनों के लिए धारा 89(3) में भूमियां हितबद्ध पक्षकारों से विधिक रूप से अधिकृत व्यक्ति को मुआवजा आधार पर दिलवाये जाने के अधिकार जिला कलक्टर को दिये जाने का विवरण है तथा धारा 89(4) में हितबद्ध पक्षकारों को मुआवजा किस प्रकार व किन नियमों के तहत दिया जाएगा, इस बाबत् विवरण अंकित है।

उपरोक्त से सुस्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये आवेदन में उसके द्वारा खनन लीज हेतु खान विभाग द्वारा स्वीकृत खनन लीज में विपक्षी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3 द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 4 को विक्रित भूमि का क्षेत्र आता है। जब किसी खनन क्षेत्र की भूमि जिसकी खनन लीज खान विभाग द्वारा उक्त व्यक्ति के पक्ष में दी गयी है तो धारा 89 के प्रावधान संख्या 1 के तहत उक्त भूमि धारा 89(3) व (4) के तहत हितबद्ध पक्षकारों को मुआयजा तय करने के लिए जिला कलक्टर को अधिकार प्रदत्त है एवं अधीनस्थ द्वारा भी इस बाबत् अपना क्षेत्राधिकार होना माना है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपनी बहस में यह वर्णित किया है कि उसके द्वारा उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार मान लिये जाने की उसके द्वारा क्रॉस अपील प्रस्तुत नहीं की है, इसके बावजूद भी उक्त बिन्दु को वह अपील में चुनौती दे सकता है। जैसाकि उसके द्वारा 2012(2) आर.आर.टी. पेज 846 तथा 2016–17 सुप्रीम (आरआरटी) पेज 80 एवं 1980 बोम्बे ए.आई.आर. पेज 306 प्रस्तुत की है। हम अपीलाण्ट की उक्त क्षेत्राधिकार बाबत् आपत्ति को निर्णीत करना उचित समझते है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपना क्षेत्राधिकार माना है, उसके बाबत् हमारे द्वारा उपर जैसा वर्णित किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार उचित रूप से माना गया है। रेस्पोंडेण्ट इसके लिए यह वर्णित करते हैं कि मुआवजे के लिए भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत ही भूमि अवाप्ति की जा सकती है तथा खनन लीज प्राप्त करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा **NOC** नहीं ली गयी है इसलिए लीज प्रारम्भतः शून्य है। हम रेस्पोंडेण्ट के उक्त तर्कों से सहमत नहीं है क्योंकि यह सुस्पष्ट है कि राजस्थान सरकार द्वारा ही खनन लीज के सन्दर्भ में धारा 89 के तहत मुआवजा किस रिति से दिया जाएगा, इस बाबत् धारा 89(4) में वर्णित है एवं मुआवजा दिये जाने के लिए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के तहत मुआवजा दिये जाने के वर्णन है, तद्नुसार मुआवजा दिलवाये जाने की विधिक पूर्वतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में वर्णित है इसलिए अपीलाण्ट का यह उज्र समाअत

योग्य नहीं है। जहां तक खनिज अधिनियम के तहत पूर्व में **NOC** लिये जाने के रेस्पोंडेण्ट द्वारा तक लिये गये हैं, इस बाबत् खनिज अधिनियम में कोई सुव्यक्त प्रावधान हो, ऐसा अपीलाण्ट द्वारा संबंधित विधिक प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया है, तद्नुसार हम अपीलाण्ट द्वारा उठाये गये उक्त क्रॉस ऑब्जेक्शन को मान्यता नहीं देते एवं तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपना क्षेत्राधिकार माना गया है, उस बाबत् रेस्पोंडेण्ट के क्रॉस ऑब्जेक्शन को खारिज करते हैं।

अब हम अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी अपील पर अपना विवेचन करना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मूलतः अपने क्षेत्राधिकार मानने के बावजूद भी अपीलाण्ट की अपील इस आधार पर खारिज की गयी है कि अनुबंध के पृष्ठ संख्या 157 में दूसरे पक्ष 15 में शर्त अंकित की गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि पूर्व में मुआवजा दिये जाने बाबत् कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। उक्त माइनिंग लीज में अंकित शर्त किस प्रकार से धारा 89 के प्रावधानों से असंगत नहीं है। स्पष्टतया यदि पक्षकार उक्त भूमि को आपसी सहमति से ले सकते थे तो जिला कलक्टर के यहां भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन किये जाने की कोई उपादेयता ही नहीं थी, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का उक्त प्रेक्षण माइनिंग लीज के बरूए औचित्यपूर्ण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का द्वितीय प्रेक्षण यह है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अवगत नहीं करवाया गया कि उसे खनन कार्य के लिए उक्त भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है। खनिज जो कि प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशाधन है एवं उसके बाबत् खनन विभाग द्वारा यदि कोई लीज स्वीकृत की गयी है तो उसमें खनिज होना निसंदेह सम्भाव्य है एवं इसके लिए ऐसे कोई तथ्य अथवा तर्क की आवश्यकता नहीं है कि अपीलाण्ट को कितनी खनन लीज दी गयी व पहले कहां खनन करेगा अथवा उसने कुल क्षेत्र में कितना खनन कर लिया व अब उसे निजी खातेदारी की भूमि की आवश्यकता क्यों है। इस प्रकार के प्रश्नों का निर्धारण किये जाने के लिए धारा 89 में कोई प्रावधान वर्णित नहीं है, न ही ऐसे प्रावधानों का विवेचन करने की अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर जो प्रस्तुत की गयी है उसमें आर. आर.टी. 2001 पेज 180 है, उसमें भी यहीं वर्णित किया गया है कि हितबद्ध पक्षकार को विधिक रूप से धारा 89 के तहत मुआवजा जो कि जिला कलक्टर द्वारा तय किया जाएगा, उसे विनिश्चित किये बिना जिला कलक्टर

उसके द्वारा अधिकृत किये जाने वाले व्यक्ति अर्थात् खनिज लीज हॉल्डर को उक्त भूमि में प्रवेश नहीं करने देगा एवं न ही वह प्रवेश करेगा। अपीलाण्ट विधिक रूप से मुआवजा चुकाने के लिए ही अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन करता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तार्किक तथ्यों के अपीलाण्ट का आवेदन विधि से परे जाकर विधि के तथ्यों पर बिना विचारण खारिज कर देता है जो प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के सुव्यक्त उपधारा 4 के प्रावधानों के तहत उभय पक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर बाद जांच मुआवजा तय करें। ?

उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को सुनकर बाद जांच विधिनुसार मुआवजा तय करें तथा उपर किये गये विवेचन अनुसार रेस्पोंडेण्ट का क्रॉस ऑब्जेक्शन खारिज किया जाता है। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.12.2021 को उपस्थित हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर